ICJ की जलवायु संबंधी सलाहकार राय:
जलवायु न्याय की पुन: पुष्टि या वैश्विक दरारों को मज़बूती?

UPSC प्रासंगिकता -

- प्रारंभिक बिंदु, संस्थाएँ: ICJ, UNFCCC, IPCC, समझौते: क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, सिद्धांत: CBDR-RC, समानता, NDCs
- मुख्य लिंक - GS पेपर 2 और 3
  ●जलवायु शासन में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भूमिका
  ●जलवायु न्याय और अंतर-पीढ़ी समानता
  ●स्थिरता और विकास अधिकारों की कानूनी व्याख्या

IAS-PCS Institute

समाचार में क्यों?

- 23 जुलाई 2025 को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने जलवायु परिवर्तन , विशेष रूप से मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए राज्यों की दायित्वों और इन दायित्वों को पूरा न करने के कानूनी परिणामों पर अपनी सलाहकार राय दी। इस राय ने विशेष रूप से जलवायु न्याय, अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक दक्षिण के अधिकारों के संदर्भ में वैश्विक बहस को जन्म दे दिया है।

पृष्ठभूमि: सलाहकारी राय को समझना

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ), संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जो उन कानूनी प्रश्नों पर सलाहकारीराय देता है जो इसे अधिकृत UN निकायों और एजेंसियों द्वारा भेजे जाते हैं। ये राय, हालांकि बाध्यकारी नहीं होतीं, फिर भी नैतिक और प्रभावशाली अधिकार रखती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को प्रभावित करती हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण का मार्गदर्शन करती हैं।

इस मामले में, ICJ से पूछा गया था:

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

- जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को घटाने के लिए राज्यों की कानूनी जिम्मेदारियाँ क्या हैं?
- अगर इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसके परिणाम क्या होंगे?
  यह अनुरोध UN महासभा द्वारा किया गया था, जिसे प्रशांत द्वीपीय राज्यों (Pacific Island States) के एक समूह द्वारा समर्थन प्राप्त था, जो समुद्र स्तर में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं।

जलवायु दायित्व क्या हैं?

जलवायु दायित्व उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को संदर्भित करते हैं जो देशों पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के तहत होती हैं, विशेष रूप से:

- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) (1992),

- क्योटो प्रोटोकॉल (1997),
- पेरिस समझौता (2015)

ये दायित्व निम्नलिखित हैं:

- ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी (मिटिगेशन),
- वित्त और प्रौद्योगिकी प्रदान करना (विशेष रूप से विकसित देशों से विकासशील देशों को),
- अनुकूलन समर्थन,
- राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) के माध्यम से रिपोर्टिंग और पारदर्शिता।

जलवायु दायित्व दो प्रकार के हो सकते हैं:

- कार्यान्वयन के दायित्व – प्रयास और उपायों को लागू करना।
- परिणाम के दायित्व – विशिष्ट परिणाम प्राप्त करना (जैसे, उत्सर्जन में कमी लक्ष्य, NDCs)

जलवायु न्याय क्या है?

जलवायु न्याय एक सिद्धांत है जो निम्नलिखित को मान्यता देता है

- विकसित देशों की जलवायु संकट के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारी,
- गरीबों और संवेदनशील वर्गों पर असमान प्रभाव, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में,
- जलवायु बोझ का समान वितरण।

यह मानवाधिकारों, समता और विकास को जलवायु कार्रवाई से जोड़ता है और इस बात पर ज़ोर देता है कि:

- विकासशील देशों को सतत विकास की दिशा में प्रयास करने में सक्षम बनाना चाहिए,
- जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण न्यायपूर्ण संक्रमण के लिए आवश्यक हैं।

संदर्भित प्रमुख जलवायु उपकरण

- **UNFCCC (1992):** जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक सहकारी ढांचा स्थापित करने वाला मूलभूत संधि, जो समानता औरसामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियाँ और संबंधित क्षमताएँ (CBDR-RC)पर जोर देती है।
- **क्योटो प्रोटोकॉल (1997):** विकसित देशों (Annex-I) के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यप्रस्तुत किए गए।
- **पेरिस समझौता (2015):** यह एक निचले स्तर से ऊपर (bottom-up) दृष्टिकोण पर आधारित था, जिसमें सभी देशों ने उत्सर्जन में कमी के लिए अपने स्वयं के NDCs प्रस्तुत किए।

ये संधियाँ मिलकर जलवायु परिवर्तन को कम करने के वैश्विक प्रयासों को नियंत्रित करने वाली बहुपक्षीय जलवायु व्यवस्था का निर्माण करती हैं।

जलवायु परिवर्तन के बारे में

- जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में दीर्घकालिक परिवर्तन को संदर्भित करता है, जिसमें तापमान, वर्षा, और वायु के पैटर्न में बदलाव शामिल हैं। यह प्राकृतिक रूप से या मानव गतिविधि के परिणामस्वरूप हो सकता है। जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र, स्वास्थ्य, खाद्य उत्पादन, आवास, और सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, और छोटे द्वीप देशों और विकासशील देशों जैसी संवेदनशील जनसंख्याएँ सबसे बड़े जोखिम का सामना कर रही हैं। उदाहरण के लिए, तुवालू, एक द्वीप राष्ट्र, समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण डूबने के जोखिम में है,

IAS-PCS Institute Result Mitra @resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

जैसे कि किरीबाती, जिसका उच्चतम बिंदु समुद्र स्तर से केवल 3 मीटर ऊपर है। इसी तरह, मालदीव और कैरिबियाई तथा प्रशांत महासागर के अन्य द्वीप जलवायु प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।

जलवायु परिवर्तन के कारण

प्राकृतिक कारण:

1. **ज्वालामुखी विस्फोट:** ज्वालामुखी विस्फोट गैसों और राख को वायुमंडल में छोड़ते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करके पृथ्वी को अस्थायी रूप से ठंडा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनातूबो का विस्फोट, जिससे वैश्विक तापमान में लगभग 0.5°C की गिरावट आई।

IAS-PCS Institute

2. **सौर विकिरण:** सूरज की ऊर्जा में उतार-चढ़ाव पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, 17वीं सदी में माउंडर न्यूनतम के दौरान, सूर्य की गतिविधि में कमी से यूरोप में ठंडे तापमान का योगदान हुआ, जिसे "लिटिल आइस एज" के नाम से जाना जाता है।

3. **टेक्टोनिक बदलाव:** टेक्टोनिक प्लेटों की गति महासागर धाराओं और वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करती है, जिससे दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, हिमालय का उत्थान, जो लाखों साल पहले हुआ था, न केवल क्षेत्रीय जलवायु को प्रभावित करता था, बल्कि दक्षिण एशिया में मानसून प्रणाली के विकास में भी योगदान दिया।

4. **मिलंकोविच चक्र:** पृथ्वी की कक्षा और ध्रुवीय झुकाव में परिवर्तन सूर्य की विकिरण वितरण को प्रभावित करते हैं, जिससे नियमित रूप से गर्मी और ठंड का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए, ये चक्र बर्फ युगों और अंतर-बर्फ युगों को उत्पन्न करने में योगदान करते हैं।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

मानव (मानवजनित) कारण:

1. **जीवाश्म ईंधन:** कोयला, तेल, और गैस जलाने से GHG (ग्रीनहाउस गैस) उत्सर्जन का 75% से अधिक योगदान होता है, जो वैश्विक गर्मी का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, औद्योगिक क्रांति के दौरान कोयला का व्यापक उपयोग GHG उत्सर्जन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का कारण बना।

2. **वृक्षों की कटाई:** कृषि और शहरीकरण के लिए वनों की कटाई कार्बन को छोड़ देती है और पृथ्वी की CO2 अवशोषित करने की क्षमता को घटाती है। उदाहरण के लिए, अमेज़न वर्षावन की वृक्षों की कटाई अब एक कार्बन सिंक होने के बजाय एक कार्बन उत्सर्जक बन गई है।

3. **यातायात और उद्योग:** जीवाश्म ईंधन आधारित यातायात और औद्योगिक गतिविधियाँ उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत हैं। उदाहरण के लिए, सड़क यातायात केवल परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन का लगभग तीन-चौथाई योगदान करता है।

4. **कृषि:** पशुपालन से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, और उर्वरक से नाइट्रस ऑक्साइड, दोनों ही शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं। उदाहरण के रूप में, चावल के खेतों में उगाई जाने वाली चावल में मीथेन का उत्सर्जन होता है, जो वैश्विक गर्मी में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

प्राकृतिक प्रभाव:

1. **तापमान में वृद्धि:** वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है, जिससे अधिक हीटवेव और जंगलों की आग का खतरा बढ़ गया है। उदाहरण के लिए, 2021 में भारत ने 1901 के बाद से अपना 5वां सबसे गर्म साल दर्ज किया, जिसमें 1981-2010 के औसत से +0.44°C की वृद्धि देखी गई।

2. **तूफान और सूखा:** उच्च तापमान अधिक चरम मौसम घटनाओं का कारण बनता है, जिसमें चक्रवात, हरिकेन और सूखा शामिल हैं। भारत में, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ी है, और 2020-2022 के बीच लगभग दो-तिहाई देश में सूखा पड़ा।

3. **महासागरीय बदलाव:** समुद्र स्तर में वृद्धि और महासागरीय अम्लीयता से समुद्री जीवन और तटीय समुदायों को खतरा है। उदाहरण के लिए, मालदीव समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण डूबने के खतरे का सामना कर रहा है।

4. **जैव विविधता की हानि:** जलवायु परिवर्तन प्रजातियों की विलुप्तता को तेज करता है, जिससे कई पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में हैं। उदाहरण के लिए, भारत के तटीय क्षेत्रों में समुद्र के तापमान में वृद्धि के कारण प्रवाल भित्तियों का सफेद होना जैव विविधता की हानि का कारण बन रहा है।

सामाजिक प्रभाव:

1. **खाद्य सुरक्षा:** जलवायु परिवर्तन कृषि को बाधित करता है, जिससे फसलों की उपज में कमी और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होती है। विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में चावल की उपज में 6% की कमी आई है।

2. **स्वास्थ्य जोखिम:** प्रदूषण में वृद्धि, मलेरिया जैसी बीमारियों का फैलाव, और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन विश्वभर में लगभग 13 मिलियन मौतों का कारण बनता है, जिसमें भारत में मलेरिया और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ा है।

3. **गरीबी और विस्थापन:** जलवायु परिवर्तन लाखों लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करता है, जिससे गरीबी बढ़ती है और जीवन जीने की स्थिति बाधित होती है। भारत, उदाहरण के लिए, जलवायु-प्रेरित विस्थापन से प्रभावित चौथा सबसे अधिक देश है, जिसमें 2020-2021 में तीन मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए थे।

वैश्विक प्रयास जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए

1. **इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC):**
   1988 में स्थापित, IPCC जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक डेटा का मूल्यांकन करता है और वैश्विक सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करता है।

2. **क्योटो प्रोटोकॉल (1997):**
   इस समझौते का उद्देश्य विकसित देशों से उत्सर्जन में कमी करना था। इसने "सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों" का सिद्धांत स्थापित किया, जिसमें विकसित देशों को उत्सर्जन कम करने के प्रयासों में नेतृत्व करना था।

3. **पेरिस समझौता (2015):**
   देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे रखने पर सहमति जताई, और 2100 तक 1.5°C तक सीमित करने का लक्ष्य रखा। समझौते में यह भी कहा गया कि विकसित देशों को विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अनुकूलन के लिए वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी प्रदान करनी चाहिए।

4. **REDD और REDD+:**
   ये पहल वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करने और सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। उदाहरण के रूप में, ब्राज़ील का अमेज़न फंड REDD+ ढांचे के तहत अमेज़न में वनों की कटाई को कम करने के लिए उपयोग किया गया है।

भारत का नेट-ज़ीरो उत्सर्जन की ओर मार्ग (2070 तक)

भारत 2070 तक नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, जो COP26 के दौरान निर्धारित किया गया था। भारत का ऊर्जा क्षेत्र जीवाश्म ईंधन पर भारी निर्भर है, जिसमें कोयला 65% CO_2 उत्सर्जन में योगदान करता है। हालांकि, भारत कई पहलों के माध्यम से डिकार्बोनाइजेशन की दिशा में काम कर रहा है:

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

- **नवीकरणीय ऊर्जा:**भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो 2024 तक 203.1 GW तक पहुंचने की उम्मीद है, और 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा का लक्ष्य है। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता विश्व में सबसे उच्चतम में से एक है।

- **ग्रीन हाइड्रोजन:**भारत ऊर्जा-गहन उद्योगों और परिवहन को डिकार्बोनाइज करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन विकसित कर रहा है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है।

- **इलेक्ट्रिक वाहन:** EV अपनाने को बढ़ावा देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बनाई जा रही हैं, लेकिन कई चुनौतियाँ हैं, जैसे चार्जिंग स्टेशनों की कमी और EVs की उच्च लागत।

- **कार्बन सिंक:** भारत कार्बन अवशोषण को बढ़ाने के लिए वनरोपण और कार्बन क्रेडिट्स में निवेश कर रहा है। उदाहरण के रूप में, ग्रीन इंडिया मिशन (GIM) के माध्यम से भारत का हरा आवरण विस्तार CO_2 को अवशोषित करने का लक्ष्य है।

नेट-ज़ीरो प्राप्त करने के लिए चुनौतियाँ और रोडमैप

1. **जीवाश्म ईंधन पर उच्च निर्भरता:** भारत अभी भी कोयले पर बहुत निर्भर है, जो इसके उत्सर्जन का लगभग 40% योगदान करता है। यह निर्भरता भारत को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण करने में चुनौतियाँ पैदा करती है।

2. **नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता:** भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को नेट-ज़ीरो लक्ष्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना होगा, जिसके लिए प्रौद्योगिकी और अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है।

3. **इंफ्रास्ट्रक्चर और नीति बाधाएँ:** EV चार्जिंग स्टेशनों जैसी अवसंरचना का धीमा विकास और नीति कार्यान्वयन में समस्याएँ प्रगति को बाधित करती हैं। उदाहरण के रूप में, भारत में मजबूत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी EV अपनाने में रुकावट डालती है।

4. **कृषि और औद्योगिक उत्सर्जन:** कृषि और उद्योग जैसे सीमेंट, स्टील और रसायन से उत्सर्जन को कम करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें उच्च लागत और प्रौद्योगिकी की सीमाएँ हैं।

निष्कर्ष

- नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारत को हरे प्रौद्योगिकियों को अपनाना होगा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना होगा, और कार्बन सिंक में सुधार करना होगा। देश की सतत प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता, साथ ही वैश्विक सहयोग, आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाकर, भारत एक सतत भविष्य में योगदान कर सकता है और अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त कर सकता है।

ICJ की सलाहकार राय द्वारा संबोधित प्रमुख मुद्दे

1. **वैश्विक दक्षिण के रुख का समर्थन**

   न्यायालय ने यह पुष्टि की कि पुराने जलवायु समझौते जैसे UNFCCC और क्योटो प्रोटोकॉल अब भी वैध हैं। इसने विकसित देशों के उस दृष्टिकोण को खारिज किया कि अब केवल पेरिस समझौता ही महत्वपूर्ण है। इससे वैश्विक दक्षिण को लाभ हुआ, जो पहले के वादों पर निर्भर है जैसे वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, और क्षमता निर्माण।

2. **CBDR-RC अभी भी केंद्रीय है**

   ICJ ने कहा कि CBDR-RC जलवायु संधियों के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है। इसने यह भी कहा कि यह सिद्धांत केवल जलवायु परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे अन्य पर्यावरणीय कानूनों पर भी लागू किया जा सकता है।

➢ **CBDR-RC के बारे में**

"सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं" का अर्थ है कि विकसित देशों को, उनकी ऐतिहासिक उत्सर्जन और वित्तीय ताकत के कारण, जलवायु परिवर्तन से लड़ने में नेतृत्व करना चाहिए। CBDR-RC विकासशील देशों की रक्षा करता है यह मानते हुए कि सभी देश समान रूप से जलवायु कार्रवाई में योगदान नहीं कर सकते।

3. **तापमान लक्ष्य: 1.5°C पर बदलाव**

पेरिस समझौते में वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और 1.5°C की कोशिश की गई थी। लेकिन ICJ ने यह व्याख्या की कि 1.5°C अब वास्तविक लक्ष्य बन गया है, जो हाल के COP निर्णयों पर आधारित है।
चिंता:यह बदलाव समझौते के पाठ पर स्पष्ट रूप से आधारित नहीं है और यह नहीं देखता कि 1.5°C का लक्ष्य विकासशील देशों के लिए कितना वास्तविक और उचित है।

4. **दायित्वों की कमजोर प्रवर्तन क्षमता**

ICJ ने कहा कि

● देशों को केवल प्रयास करने की आवश्यकता है (कार्यान्वयन के दायित्व), जरूरी नहीं कि सफलता प्राप्त हो (परिणाम के दायित्व)।

● केवल प्रक्रियात्मक कर्तव्य (जैसे NDCs प्रस्तुत करना) सख्ती से आवश्यक हैं।

● वास्तविक उत्सर्जन कटौती घरेलू अदालतों या क्षेत्रीय प्रवर्तन पर निर्भर करती हैं।
चिंता:यह प्रवर्तन को कमजोर रखता है, खासकर यदि राष्ट्रीय अदालतें मजबूत नहीं हैं।

5. **विकासात्मक चुनौतियों की अनदेखी**

राय में गरीब देशों की विकासात्मक आवश्यकताओं पर बहुत कम ध्यान दिया गया। इसमें यह विचार नहीं किया गया:

● उनकी ऊर्जा और विकास की आवश्यकता।

● विकसित देशों से वित्तीय और तकनीकी सहायता की कमी।
न्यायाधीश शुए हांकिन ने सही ही यह कहा कि वैश्विक दक्षिण में सतत विकास न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर करता है, जिस पर यह राय बल नहीं डाल पाई।

वैश्विक दक्षिण की चिंताएँ और दृष्टिकोण

- "एक आकार-प्रत्येक" उपयुक्तता लक्ष्यों का खारिज करना।
- ऐतिहासिक उत्सर्जन, विकासात्मक आवश्यकताओं, और जलवायु न्याय पर बल देना।
- वित्तीय प्रवाह, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, और न्यायपूर्ण संक्रमण के लिए बड़े पैमाने पर मांग।

IAS PCS Institute Result Mitra रिजल्ट का साथी @resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

आगे का रास्ता

1. **जलवायु नीति में समानता की पुनः पुष्टि**

● विकासशील देशों को भविष्य की वार्ताओं में समानता और CBDR-RC की बाध्यकारी स्वीकृति के लिए प्रयास करना चाहिए।

● CBDR-RC को जैव विविधता, प्रदूषण, और वैश्विक सामान्य संसाधनों जैसे क्षेत्रों में विस्तारित किया जाना चाहिए।

2. **कानूनी तंत्र को मजबूत करना**

● जलवायु दायित्वों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्षेत्रीय न्यायालयों या न्यायाधिकरणों का निर्माण करना चाहिए।

● ICJ की राय का उपयोग रणनीतिक जलवायु मुकदमेबाजी को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए, खासकर संवेदनशील देशों द्वारा।

3. **वैश्विक आर्थिक संरचनाओं में सुधार**

● एक समावेशी वित्तीय संरचना का समर्थन करना जो जलवायु वित्त और जलवायु-संवेदनशील देशों के लिए ऋण पुनर्संरचना सुनिश्चित करे।

● TRIPS छूट जैसी प्रणालियों के माध्यम से प्रौद्योगिकी-साझाकरण ढांचे का समर्थन करना।

4. **COP वार्ताओं में रणनीतिक भागीदारी**

● समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (LMDCs, G77+China) को एकजुट करना ताकि विकसित देशों द्वारा जिम्मेदारियों के कमजोर होने का मुकाबला किया जा सके।

● उत्सर्जन लेखांकन में पारदर्शिता और वित्तीय वितरण में उच्चतम महत्वाकांक्षा पर जोर देना।

IAS-PCS Institute

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के बारे में

- **स्थापना:** 1945 में, अप्रैल 1946 से कार्यशील।
- **मुख्य न्यायिक अंग:**संयुक्त राष्ट्र का, हेग में स्थित।
- **केवल UN अंग जो न्यूयॉर्क में नहीं है।**
- **कानूनी विवादों को सुलझाता है और कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देता है।**
- **193 सदस्य राज्य, अध्यक्ष:**जोआन ई. डोनोग्यू।

निष्कर्ष

- ICJ की सलाहकार राय अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कानून में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो CBDR-RC और 1.5°C लक्ष्य जैसे प्रमुख सिद्धांतों को कानूनी मानदंडों के रूप में पुन: पुष्टि करती है। जबकि यह वैश्विक जलवायु संधियों की कानूनी संरचना को मजबूत करती है, यह प्रवर्तन क्षमता की कमी और वैश्विक दक्षिण के समानता, वित्त और विकासात्मक अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को अनदेखा करती है। आगे बढ़ते हुए, वैश्विक दक्षिण को जलवायु न्याय की मांग करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने, और भविष्य की वार्ताओं में समान जिम्मेदारियों के लिए दबाव बनाने के लिए इस राय का उपयोग करना चाहिए।

Result Mitra रिज़ल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

UPSC प्रीलिम्स PYQ:

प्रश्न 1:

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो निम्नलिखित में से कहाँ बनाई गई थी? (UPSC प्रीलिम्स 2011)

(A) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पर सम्मेलन, स्टॉकहोम, 1972

(B) UN सम्मेलन पर्यावरण और विकास, रियो डी जनेरियो, 1992

(C) विश्व सतत विकास सम्मेलन, जोहान्सबर्ग, 2002

(D) UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, कोपेनहेगन, 2009

उत्तर: (B)

UPSC मेन्स अभ्यास प्रश्न:

IAS-PCS Institute

प्रश्न:

ICJ की जलवायु परिवर्तन पर सलाहकार राय CBDR-RC के सिद्धांत को मजबूत करती है और नए कानूनी मानक स्थापित करती है, फिर भी यह प्रवर्तन क्षमता की कमी और समानता के मुद्दों की अनदेखी करती है। इसके वैश्विक दक्षिण पर प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

(15 अंक | 250 शब्द)